महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

# कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न

## निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, 2013

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा जनहित में प्रकाशित

# कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न
## (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, 2013)

(अधिनियम संख्यांक 14 सन् 2013)

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करने और लैंगिक उत्पीड़न के निवारण और परिवादों के प्रतितोष के लिये और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियम।

चूँकि लैंगिक उत्पीड़न का परिणाम महिलाओं के भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन समानता के मूल अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन के उसके अधिकार और किसी पेशा को करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या करोबार करने के अधिकार, जिसमे लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है, के उल्लंघन में होता है,

और चूँकि लैंगिक उत्पीड़न का संरक्षण और गरिमा से कार्य करने के लिये कार्य करने के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों जैसे महिलाओं के विरूद्ध विभेदीकरण के सभी रूपों का उन्मूलन अभिसमय द्वारा, जिसका अनुसमर्थन भारत सरकार द्वारा 25, जून 1993 को किया गया है, सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकार है,

और चूँकि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिये प्रावधान निर्मित करना समीचीन है, इसलिए भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

### अध्याय 1: प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:** (1) यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण; प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएँ:** इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **''व्यथित महिला'' से**

(i) कार्यस्थल के संबंध में किसी आयु की महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं, अभिप्रेत है, जो प्रत्युत्तरदाता द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रखे जाने का अभिकथन करती है,

(ii) निवास स्थल या गृह के संबंध में किसी आयु की महिला अभिप्रेत है, जो ऐसे निवास या गृह में नियोजित की गयी है,

**(ख)''समुचित सरकार'' से :**

(i) कार्यस्थल के संबंध में, जो:

(क) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है,

(ख) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है,

(ii) किसी स्थल के संबंध में, जो उपखण्ड (i) के अधीन आच्छादित नहीं है और उसके राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ग) **''अध्यक्ष''** से स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेय है, जो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामांकित हो,

(घ) **''जिला अधिकारी''** से धारा 5 के अधीन अधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत है,

(ड.) **''घरेलू कार्यकत्री''** से ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो या तो प्रत्यक्षतः या किसी अभिकर्ता के माध्यम से अस्थायी या स्थायी, अशंकालिक या पूर्णकालीक आधार पर पारिश्रमिक के लिए, चाहे नगदी में हो या वस्तु में हो, किसी गृहस्थी में गृहस्थी कार्य करने के लिए नियोजित हो, किन्तु इसमें नियोजक के परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है,

(च) **''कर्मचारी से''** ऐसी व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्य के लिए कार्यस्थल पर या तो प्रत्यक्षतः या ठेकेदार को शामिल करके अभिकर्ता के माध्यम से प्रमुख नियोजक के ज्ञान से या के बिना नियमित, अस्थायी, तदर्थ दैनिक मजदूरी के आधार पर किसी कार्य के लिए कार्यस्थल पर नियोजित की गयी हो, चाहे पारिश्रमिक के लिए या नहीं या ऐच्छिक आधार पर कार्य करते हुये या अन्यथा, चाहे नियोजन के निबन्धन अभिव्यक्त हो या विवक्षित और इसमें सह कार्यकर्ता, संविदा कार्यकर्ता, परिवीक्षार्थी प्रशिक्षु को शामिल करता है या किसी अन्य ऐसे नाम को बुलाया जाये,

**(छ) ''नियोजक'' से :**

(i) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्थापन उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा या इकाई के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्थापन, उद्यम संस्थान, कार्यालय, शाखा या ईकाई का प्रमुख या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें,

(ii) उपखण्ड (i) के अधीन आच्छादित न किये गये किसी कार्यस्थल में, कार्यस्थल से प्रबन्धन, पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण– इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, ''प्रबन्धन'' में ऐसे संगठन के लिए नीतियों के निर्माण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या परिषद् या समिति शामिल हैं,

(iii) उपखण्ड (i) और (ii) के अधीन आच्छादित कार्यस्थल के संबंध में, उसके या उसकी कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक आवद्धता का निर्वहन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है,

(iv) निवास स्थल या गृह के संबंध में, व्यक्ति या गृहस्थी अभिप्रेत है, जो नियोजित ऐसे कार्यकर्ता की संख्या, समय अवधि या प्रकार या नियोजन का प्रकृति या घरेलू कार्यकर्ता द्वारा किये गये क्रियाकलापों के बावजूद घरेलू कार्यकर्ता को नियोजित करता है या के नियोजन से लाभ प्राप्त करता है,

(ज) ''**आन्तरिक समिति**'' से धारा 4 के अधीन गठित आन्तरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है,

(झ) ''**स्थानीय समिति**'' से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है,

(ञ) ''**सदस्य**'' से आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, का सदस्य अभिप्रेय है,

(ट) ''**विहित**'' से इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमवाली द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ठ) ''**पीठासीन अधिकारी**'' से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामांकित आन्तरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है,

(ड) ''**प्रयुत्तरदाता**'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरूद्ध व्यथित महिला धारा 9 के अधीन परिवाद की है,

(ढ) ''**लैंगिक उत्पीड़न**'' में निम्न आशोभनीय कार्यों में से एक या अधिक या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्षतः या विवक्षा द्वारा हो) शामिल है, अर्थात्–

(i) शारीरिक स्पर्श और चेष्टायें, अथवा

(ii) यौन स्वीकृति की मांग अथवा अनुरोध, अथवा

(iii) काम रंजित टिप्पणियाँ करना, अथवा

(iv) किसी कामोत्तेजक सामग्री का प्रदर्शन, अथवा

(v) यौन सम्बन्धित कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक सांकेतिक आचारण,

(ण) ''**कार्यस्थल**'' **में शामिल है:**

(i) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्थापन, उद्यम, संस्थापन, कार्यालय, शाखा अथवा इकाई, जो समुचित सरकार या स्थानीय

प्राधिकरण या सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी समिति द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से प्रदान की गयी निधि द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है,

(ii) कोई निजी क्षेत्र का संगठन या निजी परियोजना, उपक्रम, उद्यम, संस्थान, संस्थापन, सोसाईटी, न्यास, गैर–सरकारी संगठन, इकाई या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाओं या वित्तीय क्रियाकलापों को कर रहा है, जिसमें उत्पादन, आपूर्ति, विक्रय, वितरण या सेवा शामिल है,

(iii) अस्पताल और परिचर्या गृह

(iv) कोई क्रीड़ा संस्थान, स्टेडियम, क्रीड़ा परिसर या प्रतियोगिता अथवा खेल स्थल, चाहे आवासीय हो या नहीं, जो प्रशिक्षण, क्रीड़ा या उससे सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त हो,

(v) ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा प्रदत्त परिवहन को शामिल करके नियोजन के अद्भुत या के दौरान कर्मचारी द्वारा देखा गया कोई स्थल,

(vi) निवास स्थल या गृह,

**(त)** कार्य स्थल के सम्बन्ध में "असंगठित क्षेत्र" से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यक्तियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन हो और जो माल के उत्पादन या विक्रय या किस प्रकार की सेवा, चाहे जो भी हो प्रदान करने के लिए संलग्न हो और जहाँ उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है, वहाँ ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से कम है।

3. **लैंगिक उत्पीड़न का निवारण:** (1) कोई महिला किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधीन नहीं रखी जायेगी।

(2) अन्य परिस्थितियों के साथ निम्न परिस्थितियाँ, यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या व्यवहार से सम्बन्ध में या से सम्बन्धित होती है, या विद्यमान है, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी:

(i) उसके नियोजन के अधिमानी विचारण का विवक्षित या स्पष्ट वचन, या

(ii) उसके नियोजन में नुकसान देय व्यवहार की विवक्षित या स्पष्ट धमकी, या

(iii) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन प्रास्थिति के बारे में विवक्षित या स्पष्ट धमकी, या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप या उसके लिए अभितासात्मक या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना, या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए सम्भाव्य अपमानजनक व्यवहार।

# अध्याय 2: आन्तरिक परिवाद समिति का गठन

4. **आन्तरिक परिवाद समिति का गठन**: (1) कार्यस्थल का हर कर्मकारी, लिखित में आदेश द्वारा, समिति का गठन करेगा, जो ''आन्तरिक परिवाद समिति'' के रूप में ज्ञात होगाः

परन्तु जहाँ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक इकाइयाँ भिन्न स्थलों या खण्डीय या उपखण्डीय स्तर पर स्थित हैं, वहाँ आन्तरिक समिति का गठन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में किया जायेगा।

(2) आन्तरिक समिति में निम्न सदस्य शामिल होंगे, जो नियोजक द्वारा नामांकित किये जायेंगे, अर्थात्–

(क) पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल में वरिष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगीः

परन्तु यदि वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल को अन्य कार्यलयों या प्रशासनिक इकाइयों से नामांकित किया जायेगा,

परन्तु यह और कि यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक इकाइयों में वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक की किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नामांकित किया जायेगा,

(ख) कर्मचारियों में से, जो अधिमानतः महिलाओं के मामलों के लिए प्रतिबद्ध हैं, सदस्य या जिनको सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है, दो से अन्यून,

(ग) गैर–सरकारी संगठनों या संगमों से एक सदस्य, जो महिलाओं के मामलों के लिए प्रतिबद्ध है या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विषयों से परिचित व्यक्ति हैः

परन्तु इस प्रकार नामांकित किये गये कुल सदस्यों में से कम से कम आधी महिलायें होंगी।

(3) आन्तरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और हर सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जैसा कि नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(4) गैर–सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त सदस्य को आन्तरिक समिति की कार्यवाही को करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीस या भत्तों का भुगतान किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(5) जहाँ आन्तरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य,–

(क) धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, या

(ख) अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अपराध में जाँच उसके विरूद्ध लम्बित है, या

(ग) उसे किसी अनुशासनिक कार्यवाही में अपराधी पाया गया है या अनुशासिक कार्यवाही उसके विरूद्ध लम्बित है, या

(घ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि पद पर उसका बना रहना लोक हित के प्रतिकूल होगा,

वहाँ ऐसा पीठासीन अधिकारी या सदस्य, यथास्थित, समिति से हटाया जायेगा और इस प्रकार सृजित कोई रिक्ति या अकास्मिक रिक्ति इस धारा के प्रावधानों के अनुसार नये नामांकन द्वारा भरी जायेगी।

## अध्याय 3ः स्थानीय परिवाद समिति का गठन

5. **जिला अधिकारी की अधिसूचना**ः समुचित अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उपकलेक्टरों को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृतियों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिला के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

6. **स्थानीय परिवाद समिति का गठन और की अधिकारिता**ः (1) हर जिला अधिकारी [illegible] संस्थापनों से, जहाँ आन्तरिक परिवाद समिति का गठन दस से कम कर्मकार होने के कारण नहीं किया गया है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरूद्ध है, लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों को प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध जिला में समिति का गठन करेगा, जो ''स्थानीय परिवाद समिति'' के रूप में ज्ञात होगा।

(2) जिला अधिकारी परिवादों को प्राप्त करने और उसे सात दिनों की अवधि के भीतर सम्बद्ध स्थानीय परिवाद समिति को अग्रसारित करने के लिए ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में हर विकास खण्ड, तालुका और तहसील में और नगरीय क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार उस जिला के, जहाँ उसका गठन किया जाता है, क्षेत्रों तक होगा।

7. **स्थानीय परिवाद समिति का गठन, अवधि और अन्य निबन्धन तथा शर्तें**ः (1) स्थानीय परिवाद समिति में निम्न सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें जिला अधिकारी द्वारा नामांकित किया जायेगा, अर्थात्–

(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और महिलाओं के मामले के लिए प्रतिबद्ध प्रख्यात महिलाओं में से नामनिर्देशित की जायेगी,

(ख) एक सदस्य जो विकास खण्ड, तालुका या तहसील या जिला में वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्देशित की जायेगी,

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं के मामलों के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगमों से नामनिर्देशित की जायेगी या लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्ध विषयों से परिचित व्यक्ति, जिसे विहित किया जाये:

परन्तु नामनिर्देशितियों में से कम से क़म एक का अधिमानता विधिक पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए:

परन्तु यह और भी नामनिर्देशितियों में से कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग या समय के केन्द्रीय सरकार द्वारा

अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित महिला होगी,

(घ) जिला में सामाजिक परिणाम या महिला और शिशु विकास का सम्व्यवहार करने वाले सम्बद्ध अधिकारी पदेन सदस्य होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और हर सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जैसा कि जिला अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(3) जहाँ स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य–

(क) धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या

(ख) अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध की जाँच उसके विरूद्ध लम्बित है, या

(ग) किसी अनुशासिक कार्यवाही में अपराधी पाया गया है या उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है, या

(घ) अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है, जिससे पद पर उसका बना रखना लोक हित के प्रतिकूल होगा,

वहाँ ऐसे अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति समय से हटाये जायेंगे और इस प्रकार सृजित रिक्त या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के प्रावधानों के अनुसार नये नामनिर्देशन द्वारा भरा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों के अतिरिक्त स्थानीय समिति का अध्यक्ष और सदस्य स्थानीय समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए ऐसी फीस या भत्तों के लिए हकदार होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।

8. **अनुदान और लेखा सम्परीक्षा:** (1) केन्द्रीय समिति संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशि का अनुदान राज्य सरकार से कर सकेगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

(2) राज्य सरकार अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान का आन्तरण उस अभिकरण को कर सकेगी।

(3) अभिकरण जिला अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसा कि धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के भुगतान के लिए अपेक्षा किया जाये।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण का लेखा रखा जायेगा और ऐसे ढंग में लेखा सम्परीक्षा किया जायेगा, जैसा कि राज्य के महालेखाकार से परामर्श करके विहित किया जाये और अभिकरण के लेखा की अभिरक्षा धारण करने वाला व्यक्ति राज्य सरकार को ऐसी तारीख के पूर्व, जैसा कि विहित किया जायें, लेखा की उसकी लेखा सम्परीक्षा की गयी प्रति के साथ उस पर लेखा सम्परीक्षक की रिपोर्ट पेश करेगा।

## अध्याय 4: परिवाद

9. **लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद:** (1) कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद लिखित में घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के

अन्तर्गत और घटनाओं की श्रृंखला के मामले में अन्तिम घटना की तारीख के तीन मास की अवधि के भीतर आन्तरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित है या स्थानीय समिति को, यदि वह इस प्रकार गठित नहीं है, कर सकेगी:

परन्तु जहाँ ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता, वहाँ आन्तरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य या स्थानीय समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, लिखित में परिवाद करने के लिए महिला को सभी युक्तियुक्त सहयोग प्रदान करेगा:

परन्तु यह और कि आन्तरिक समिति या, यथास्थिति, स्थानीय समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से समय सीमा का विस्तार तीन मास के अधिक तक कर सकेगी, यदि उसे समाधान हो जाता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जो महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद दाखिल करने से निवारित की थी।

(2) यहाँ व्यथित महिला शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है, वहाँ उसका विधिक उत्तराधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जैसा कि विहित किया जाये, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

10. **सुलहः** (1) आन्तरिक समिति या, यथास्थिति, स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जाँच प्रारम्भ करने के पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्युत्तरदाता के बीच मामले का निपटारा करने के लिए कदम उठा सकेगी:

परन्तु कोई मौद्रिक निपटारा सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जायेगा।

(2) जहाँ निपटारा उपधारा (1) के अधीन किया गया है, वहाँ आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, इस प्रकार किए गए निपटारा को अभिलिखित करेगी और उसे नियोजक या जिला अधिकारी को कार्यवाही करने के लिए भेजेगी, जैसा कि सिफारिश में विनिर्दिष्ट है।

(3) आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, निपटारा की प्रतियाँ, जैसा कि उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित है, व्यथित महिला और प्रत्युत्तरदाता को प्रदान करेगी।

(4) जहाँ निपटारा उपधारा (1) के अधीन किया गया है, वहाँ कोई और जाँच आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, द्वारा नहीं की जायेगी।

11. **परिवाद की जाँचः** (1) धारा 10 के प्रावधानों के अधीन, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, प्रयुत्तरदाता को लागू सेवा नियमवाली के प्रावधानों के अनुसार परिवाद की जाँच करने की कार्यवाही करेगी, जहाँ प्रत्युत्तरदाता कर्मचारी है और जहाँ कोई ऐसी नियमावली विद्यमान नहीं है, वहाँ ऐसे ढंग में जाँच की कार्यवाही करेगी, जैसा कि विहित किया जायेगा या घरेलू कर्मकार के मामले में, स्थानीय समिति, यदि प्रथम दृष्टया विद्यमान है, परिवाद को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45), की धारा 509 और उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत प्रावधानों के अधीन, जहाँ लागू हो, मामले को पंजीकृत करने के लिए सात दिनों की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद अग्रसारित करेगी:

परन्तु जहाँ व्यथित महिला आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, को सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किये गये समझौते का निबंधन या शर्त का अनुपालन प्रत्युत्तरदाता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ आंतरिक समिति या स्थानिय समिति परिवाद की जाँच करने, या यथास्थिति परिवाद पुलिस को अग्रसारित करने की कार्यवाही करेगी।

परन्तु यह और कि जहाँ दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहाँ पक्षकारों को जाँच के अनुक्रम के दौरान सुने जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को उन्हें समिति के समक्ष निष्कर्ष के विरूद्ध प्रत्यावेदन करने के लिए समर्थ बनाते हुए उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए, न्यायालय, जब प्रत्युत्तरदाता को अपराध के दोषसिद्ध किया जाता है, धारा 15 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तरदाता द्वारा व्यथित महिला को ऐसी धनराशि के भुगतान का आदेश दे सकेगा, जिसे वह समुचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन जाँच करने के प्रयोजन के लिए, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, को निम्न मामलों के सम्बन्ध में वाद का विचारण करते समय ऐसी शक्तियाँ होंगी, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में विहित है, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उपस्थिति को प्रवर्तित करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) दस्तावेजों को प्रकटन और पेश करने की अपेक्षा करना, और

(ग) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाये।

(4) उपधारा (1) के अधीन जाँच नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जायेगी।

## अध्याय 5: परिवाद की जाँच

12. **जाँच के लम्वित रहने के दौरान कार्यवाही:** (1) जाँच के लम्बित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गये लिखित अनुरोध पर, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति नियोजक से–

(क) व्यथित महिला और प्रयुत्तरदाता को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित करना, या

(ख) तीन मास की अवधि तक व्यथित महिला को अवकाश प्रदान करना, या

(ग) व्यथित महिला को ऐसा अन्य अनुतोष प्रदान करने के लिए, जैसा कि विहित किया जाये, सिफारिश कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को प्रदत्त अवकाश उस के अतिरिक्त होगा, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, की

सिफारिश पर, नियोजक उपधारा (1) के अधीन की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करेगा और ऐसे क्रियान्वयन् की रिपोर्ट आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, को भेजेगा।

13. **जाँच रिपोर्ट :** (1) इस अधिनियम के अधीन जाँच के पूरा करने पर, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, नियोजक, या यथास्थिति, जिला अधिकारी को जाँच को पूरा करने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर अपने निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रदान करेगी और ऐसी रिपोर्ट सम्वद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करायी जाये।

(2) जहाँ आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्युत्तरदाता के विरूद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है, वहाँ वह नियोजक और जिला अधिकारी से सिफारिश करेगा कि कोई कार्यवाही उस ढंग में किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं है।

(3) जहाँ आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, इस निष्कर्ष पर आती है कि प्रत्युत्तरदाता के विरूद्ध अभिकथन साबित किया गया है, वहाँ वह नियोजक या जिला अधिकारी यथास्थिति, से–

(i) लैंगिक उत्पीड़न के लिए प्रत्युत्तरदाता को लागू सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अवचार के रूप में कार्यवाही करने या जहाँ कोई ऐसी सेवा नियमावली में निर्मित नहीं की गयी है, वहाँ ऐसे ढंग में कार्यवाही करने, जैसा कि विहित किया जाये,

(ii) प्रत्युत्तरदाता को लागू सेवा नियमावली में किसी चीज के होते हुए, प्रत्युत्तरदाता के वेतन या मजदूरी से ऐसी धनराशि की कटौती करने, जिसे वह व्यथित महिला या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को भुगतान किए जाने के लिए समुचित समझे, जैसा कि वह धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार अवधारित किया जाये, सिफारिश कर सकेगा:

परन्तु यदि नियोजक कर्तव्य या नियोजन की समाप्ति से उसके अनुपस्थित होने के कारण प्रत्युत्तरदाता के वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ हैं, तो वह प्रत्युत्तरदाता से व्यथित व्यक्ति को ऐसी धनराशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि प्रयुत्तरदाता खण्ड (ii) में निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो आन्तरिक समिति या, यथास्थिति, स्थानीय समिति सम्बद्ध जिला अधिकारी को भूराजस्व के बकाये के रूप में धनराशि की वसूली के लिए आदेश दे सकेगा।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी उसके द्वारा उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर सिफारिश पर कार्यवाही करेगा।

14. **मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड :** (1) जहाँ आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रयुत्तरदाता के विरूद्ध अभिकथन विद्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी

अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या होना जानते हुए उसे किया है या व्यथित महिला अथवा परिवाद करने वाला कोई अन्य व्यक्ति कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, तो वह नियोजक या जिला अधिकारी, यथास्थिति से महिला या व्यक्ति के विरूद्ध, जिसने धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2), यथास्थिति, के अधीन परिवाद किया है, उसको लागू सेवा नियमवाली के प्रावधानों के अनुसार या जहाँ कोई ऐसी सेवा नियमावली विद्यमान नही है, ऐसे ढ़ंग में, जैसा की विहित किया जाय, के अनुसार कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगी:

परन्तु परिवाद को प्रमाणित करने या पर्याप्त सबूत प्रदान करने की मात्र असफलता इस धारा के अधीन परिवादी के विरूद्ध कार्यवाही करने को आवश्यक नहीं बनाती:

परन्तु यह और कि परिवादी की ओर से विद्वेषपूर्ण आशय किसी कार्यवाही सिफारिश किए जाने के पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार जाँच के पश्चात् साबित की जायेगी।

(2) जहाँ आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जाँच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, तो वह साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी, यथास्थिति, से उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमवाली के प्रावधानों के अनुसार या जहाँ कोई ऐसी सेवा नियमवाली विद्यमान नहीं है, वहाँ ऐसे ढंग में, जैसा कि विहित किया जाये, कार्यवाही करने की सिफारिश करेगा।

15. **प्रतिकर का अवधारण:** धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ii) के अधीन व्यथित महिला के भुगतान की जाने वाली धनराशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति,–

(क) व्यथित महिला को कारित मानसिक आघात, दर्द, व्यथा और भावनात्मक वेदना,

(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण जीवनवृत्त अवसर में हानि,

(ग) शारीरिक या मानसिक चिकित्सा के लिए पीड़िता द्वारा उपगत चिकित्सीय खर्च,

(घ) प्रत्युत्तरदाता की आय और वित्तीय प्रास्थिति,

(ड.) एकमुश्त या किश्तों में ऐसे भुगतान की साध्यता, को ध्यान में रखेगा।

16. **परिवाद और जाँच कार्यवाही की अन्तर्वस्तुओं के प्रकाशन या जानकारी देने का प्रतिषेद:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22), में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए, धारा 9 के अधीन किये गये परिवाद की अन्तर्वस्तु, व्यथित महिला, प्रत्युत्तरदाता और साक्षियों की शिनाख्त और पता, सुलह और जाँच कार्यवाही से सम्बन्धित कोई सूचना, आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, की सिफारिशें और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही किसी ढंग में प्रकाशित नहीं की जायेगी, सामान्य जनता, समाचार प्रकाशक और समाचार माध्यम को संसूचित या ज्ञात नहीं करायी जायेगी।

परन्तु यह कि सूचना का प्रसारण इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की

किसी पीड़िता को प्राप्त न्याय के सम्बन्ध में, नाम, पता, शिनाख्त या किसी अन्य विशिष्टियों को, जो व्यथित महिला और साक्षियों को शिनाख्त की निर्दिष्ट करने के लिए संगणित है, प्रकट किये बिना किया जा सकेगा।

17. **परिवाद और जाँच कार्यवाही की अन्तर्वस्तुओं के प्रकाशन या ज्ञात कराने के लिए दण्ड:** जहाँ कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन परिवाद, जाँच या किसी सिफारिश या की जाने वाली कार्यवाही को संचालित करने या निपटाने की कर्त्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वहाँ वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमवाली के प्रावधानों के अनुसार या जहाँ कोई ऐसी सेवा नियमवाली विद्यमान नहीं है, ऐसे ढंग में जैसा कि विहित किया जाये, शास्ति के लिए दायी होगी।

18. **अपील:** (1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गयी सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों के अक्रियान्वयन् से व्यथित कोई व्यक्ति न्यायालय या अधिकरण में उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अपील दाखिल कर सकेगा या जहाँ कोई ऐसी नियमावली विद्यामान नहीं है, वहाँ तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसे ढंग से अपील दाखिल कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील सिफारिशें नब्बे दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जायेगी।

## अध्याय 6: नियोजक का कर्त्तव्य

19. **नियोजक का कर्त्तव्य:** प्रत्येक नियोजक:

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य करने का वातावरण प्रदान करेगा, जिसमें कार्यस्थल में सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति से सुरक्षा शामिल होगी,

(ख) कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर लैंगिक उत्पीड़न के दाण्डिक परिणाम और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आन्तरिक समिति को गठिति करनेवाले आदेश को प्रदर्शित करेगा,

(ग) अधिनियम के प्रावधानों की कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए नियमित अन्तराल पर कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम और आन्तरिक समिति के सदस्यों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम ऐसे ढंग में आयोजित करेगा, जैसा कि विहित किया जाये,

(घ) आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, को परिवाद पर विचार करने और जाँच करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा,

(ड.) आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, के समक्ष प्रत्युत्तरदाता और साक्षियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने में सहायता देगा,

(च) आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, को ऐसी सूचना उपलब्ध करायेगा, जैसा कि वह धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किये गये परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षा करे,

(छ) महिला को सहायता प्रदान करेगा, यदि वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के सम्बन्ध में परिवाद दाखिल करने का चुनाव करती है।

(ज) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर्ता के विरूद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है, जहाँ कर्ता कर्मचारी नहीं है, कार्यस्थल में कार्यवाही प्रारम्भ करायेगा, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना घटी थी,

(झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमवाली के अधीन अवचार मानेगा और ऐसे अवचार के लिए कार्यवाही, प्रारंभ करेगा।

(ञ) आन्तरिक समिति द्वारा रिपोर्ट को समय से पेश करने का अनवीक्षण करेगा।

## अध्याय 7: जिला अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियाँ

20. **जिला अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियाँ:** जिलाधिकारी–

(क) स्थानीय समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के समय से पेश करने का अनुवीक्षण करेगा,

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकार पर जानकारी के सृजन के लिए गैर सरकारी संगठनों को संलग्न करने के लिए आवश्यक हो।

## अध्याय 8: प्रकीर्ण

21. **समिति वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगी:** (1) आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे नियोजक और जिलाधिकारी के समक्ष पेश करेगी।

(2) जिला अधिकारी राज्य सरकार को उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट पर संक्षिप्त रिपोर्ट अग्रसारित करेगी।

22. **नियोजक वार्षिक रिपोर्ट में सूचना को शामिल करेगा:** नियोजक अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन दाखिल किये गये मामलों की संख्या, यदि कोई हो और उनके निस्तारण को अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा या जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार किया जाना अपेक्षित नहीं है, वहाँ जिला अधिकारी को मामलों, यदि कोई हो, की ऐसी संख्या की सूचना देगा।

23. **समुचित सरकार क्रियान्वयन् का अनुवीक्षण करेगी और आंकड़ा रखेगी:** समुचित

सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करेगी और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सभी मामलों के सम्बन्ध में दाखिल किये गये और निस्तारित मामलों की संख्या का आंकड़ा रखेगी।

24. **समुचित सरकार अधिनियम को प्रचारित करने के लिए उपाय करेगी:** समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीनः

(क) कार्यस्थल पर महिला के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण के लिए प्रावधान करने वाले इस अधिनियम के प्रावधानों की सामान्य जनता को समझ प्रदान करने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्री विकसित कर सकेगी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी,

(ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिए अनुस्थापन और प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्मित करेगी।

25. **सूचना मँगाने और अभिलेखों के निरीक्षण की शक्ति:** (1) समुचित सरकार, का समाधान होने पर, कि कार्यस्थल पर सार्वजनिक हित में या महिला कर्मचारियों के हित में ऐसा करना आवश्यक है,

(क) लिखित में आदेश द्वारा–किसी कर्मचारी या जिला अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित लिखित में ऐसी सूचना देने के लिए कह सकेगी, जैसा कि वह अपेक्षा करे,

(ख) किसी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के सम्बन्ध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर देगा, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष माँग पर उसकी अभिरक्षा में सभी सूचना, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को पेश करेगा, जिसका ऐसे निरीक्षण की विषयवस्तु पर प्रभाव है।

26. **अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए शास्ति:** (1) जहाँ नियोजकः

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आन्तरिक समिति का गठन करने,

(ख) धारा 13,14 और 22 के अधीन कार्यवाही करने, में असफल रहता है, और

(ग) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों या उसके अधीन निर्मित नियमावली का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रत्यत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है,

वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास हजार रूपये तक हो सकेगा।

(2) यदि कोई कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के पहले दोषसिद्ध किये जाने के पश्चात्, बाद में उसी अपराध को कारित करता है और दोषसिद्ध किया जाता है, तो वह–

(i) उसी अपराध के लिए उपबन्धित अधिकतम होने वाले दण्ड के अधीन दोहरे दण्ड, जो प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित किया जा सकता था:

परन्तु यह कि यदि अपराध के लिए, जिसके लिए अभियुक्त अभियेजित किया जा रहा है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उच्चतर दण्ड विहित किया जाता है, तो न्यायालय दण्ड प्रदान करते समय उसका सम्यक् संज्ञान लेगा,

(ii) उसके कारोबार या क्रियाकलाप को करने के लिए अपेक्षित उसकी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण, रजिस्ट्रीकरण के वापस लेने या अनवीकरण या अनुमोदन या रद्दकरण, यथास्थिति, के लिए दायी होगा।

27. **न्यायालयों द्वारा अपराध का संलग्न संज्ञान:** (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किसी नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान व्यथित महिला या इस निमित्त आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वार किये गये परिवाद पर ही लेगा, अन्यथा नहीं।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अन्यून कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।

28. **अधिनियम किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में:** इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा और अल्पीकरण में नहीं होगा।

29. **समुचित सरकार की नियम निर्मित करने की शक्ति:** (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम निर्मित कर सकेगा।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न मामलों में से सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकेंगे, अर्थात्–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों को भुगतान की जाने वाली फीस या भत्तों,

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन,

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान की जाने वाली फीस या भत्तों,

(घ) व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा,

(ड.) धारा 11 की उपधारा (1) अधीन जाँच का ढंग,

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन जाँच करने के लिए शक्तियाँ,

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन सिफारिश किया जाने वाला अनुतोष,

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (i) के अधीन की जाने वाली कार्यवाही का ढंग,

(झ) धारा 14 की उपधारा (1) और (2) के अधीन की जाने वाली कार्यवाही का ढंग,

(ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्यवाही का ढंग,

(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील का ढंग,

(ठ) धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए कार्यशाला, जानकारी कार्यक्रम और आन्तरिक समिति के सदस्यों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम को आयोजित करने का ढंग, और

(ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आन्तरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए प्रारूप और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम, उसके बनाये जाने के शीघ्र पश्चात्, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहाँ उसमें दो सदन शामिल हैं या जहाँ ऐसे विधानमण्डल का गठन एक सदन से होता है, वहाँ उस सदन के समक्ष पेश किया जायेगा।

30. **कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति:** (1) यदि कोई कठिनाई इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में होती है, तो केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान निर्मित कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जो कठिनाई का निवारण करने के लिए उसको आवश्यक होना प्रतीत हो:

परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

## कानून को जानें...

# चुप्पी तोड़ें

## कार्यस्थल पर
## यौन उत्पीड़न
# अब और नहीं

महिला कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, उसके निषेध एवं निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के प्रावधानानुसार सभी नियोक्ताओं द्वारा लिखित रूप से 'आंतरिक परिवाद समिति' का गठन किया जाना है।

**क्या आपके कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन हुआ है?**

महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी


**महिला एवं बाल विकास निगम**

दारोगा राय पथ, रोड न.-2, आर ब्लॉक, पटना- 800001 बिहार

ई-मेल : support. wdc@bihar.gov.in

www.wdc.bih.nic.in